(37)

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक:एफ 8/2/2004/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय - शासकीय सेवकों को बाह्य सेवा में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की लागत अंशदान की वसूली ।

संदर्भ - वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक:एफ 8/2/2004/नियम/चार, दिनांक 25 फरवरी, 2005.

—***—

वित्त विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2005 द्वारा शासकीय सेवकों के बाह्य सेवा में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की लागत अंशदान की वसूली की जाने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में मूलभूत नियम 115 एवं 116 में प्रावधान किया गया है । राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मूलभत नियम 116 के अन्तर्गत पेंशन तथा अवकाश वेतन के लिए अंशदान की दरें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार निर्धारित की जाए ।

2/ शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में रहने के दौरान देय मासिक पेंशन अंशदान शासकीय सेवक के बाह्यसेवा में जाते समय धारित पद के अधिकतम वेतन (मूलभत नियम 9 (21) (a) (i) में परिभाषित वेतन) पर आधारित होगा ।

3/ चिकित्सा अधिकारियों / चिकित्सा शिक्षकों जिन्हे प्रायवेट प्रेक्टिस के बदले अव्यवसायिक भत्ता (Non practising Allowances) देय है, के मामलों में वेतन के अधिकतम तथा उस पर उपयुक्त अव्यसायिक भत्ते को जोड़ा जाकर पेंशन अंशदान की गणना की जाए ।

4/ यह आदेश दिनांक 25 फरवरी 2005 से प्रभावशील माना जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

Cru/06/sun/

परिशिष्ट

अ-पेंशन के मासिक अंशदान की दर

सेवा के वर्ष	मासिक अंशदान की दर -शासकीय सेवक द्वारा बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाने के समय स्थायी / स्थानापन्न ग्रेड में धारित पद के अधिकतम मासिक वेतन के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त			
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
0-1 वर्ष	7 %	6 %	5 %	4 %
1-2 "	7%	6 %	6 %	4 %
2-3 "	8%	7%	6%	5%
3-4 "	8%	7%	7%	5%
4-5 "	9%	8%	7%	5%
5-6 "	10%	8%	7%	6%
6-7 "	10%	9%	8%	6%
7-8 "	11%	9%	8%	6%
8-9 "	11%	10%	9%	7%
9-10 "	12%	10%	9%	7%
10-11 "	12%	11%	10%	7%
11-12 "	13%	11%	10%	8%
12-13 "	14%	12%	10%	8%
13-14 "	14%	12%	11%	8%
14-15 "	15%	13%	11%	9%
15-16 "	15%	13%	12%	9%
16-17 "	16%	14%	12%	9%
17-18 "	16%	14%	13%	10%
18-19 "	17%	15%	13%	10%
19-20 "	17%	15%	13%	10%
20-21 "	18%	16%	14%	11%
21-22 "	19%	16%	14%	11%
22-23 "	19%	17%	15%	11%
23-24 "	20%	17%	15%	12%
24-25 "	20%	17%	16%	12%
25-26 "	21%	18%	16%	12%
26-27 "	21%	18%	16%	13%
27-28 "	22%	19%	17%	13%
28-29 "	23%	19%	17%	13%
29-30 "	23%	20%	18%	13%
30 वर्ष से ऊपर	23%	20%	18%	14%

ब- अवकाश वेतन के मासिक अंशदान की दरें

	बाह्य सेवा में आहरित वेतन का प्रतिशत
सभी श्रेणी के शासकीय सेवक --	11

क्रमांक : एफ- 8/2/2004/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2006

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

:: अधिसूचना ::

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2005

क्रमांकः एफ 8/2/2004/नियम/चार- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश मूलभूत नियम खण्ड -1 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में, मूलभूत नियम 114 के पश्चात् , निम्नलिखित नए नियम अंतःस्थापित किया जाएं , अर्थात् :-

" मूलभूत नियम 115 , अवकाश तथा पेंशन अंशदान का भुगतान । "

(ए) शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में रहने के दौरान उसकी पेंशन की लागत के अंशदान का भुगतान उसकी ओर से सामान्य राजस्व में किया जाना चाहिए ।

(बी) यदि बाह्य सेवा भारत में है , तो अवकाश वेतन की लागत के अंशदान का भी भुगतान होना चाहिए ।

(सी) उक्त खण्ड (ए) तथा (बी) में देय अंशदान , स्वयं शासकीय सेवक को अदा करना होगा ,जब तक नियोजक उन्हें अदा करने की सहमति नहीं देता । ऐसे अंशदान बाह्य सेवा की अवधि में लिए गए अवकाश काल के लिए देय नहीं होगें ।

(डी) नियम 123 (बी) के अन्तर्गत की गई विशेष व्यवस्था के अनुसार भारत के बाहर बाह्य सेवा के प्रकरण में अवकाश वेतन के लिए भी अंशदान किया जा सकता है । ऐसा अंशदान बाह्य नियोजक द्वारा अदा किया जायेगा।

टीप(1) इस सम्पूर्ण अध्याय में , "पेंशन" के अन्तर्गत वे सरकारी अंशदान भी, यदि कोई हो, शामिल हैं जो भविष्य निधि में सरकारी सेवक के जमा खाते में देय हैं ।

टीप(2)राज्य शासन के प्रशासनिक नियत्रंणाधीन अथवा राज्य की संचित निधि से सारतः पोषित किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति इस नियम के प्रयोजन के लिए बाह्य सेवा नहीं समझी जाएगी । "

मूलभूत नियम 116. अवकाश और पेंशन अंशदान की दरें

पेंशन तथा अवकाश वेतन के लिए अंशदान की दरें वही होगीं जो राज्यपाल, सामान्य आदेश द्वारा निर्धारित करे ।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए. पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

17

पृष्ठांकन क्रमांकः एफ 8/2/2004/नियम/चार भोपाल दिनांक 25 फरवरी 2005

प्रतिलिपिः-

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
7. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
8. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
9. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
12. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
14. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
15. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
19. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
20. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
21. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी)मंत्रालय भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
25. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
26. सभी कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
27. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों ।
29. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

FINANCE DEPARTMENT

MINISTRY

::: NOTIFICATION :::

Bhopal, dated 25 .2.05

F-8/2/2004/Rule/IV, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Fundamental Rules, Volume-1, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, after FR 114, the following new rules shall be inserted, namely :-

"FR. 115. Payment of Leave and Pension Contribution :

(a) While a government servant is in Foreign Service, contribution towards the cost of his pension must be paid to general revenues on his behalf.

(b) If the Foreign Service is in India,contributions must be paid on account of the cost of leave salary also.

(c) Contributions due under clauses (a) and (b) above shall be paid by the government servant himself, unless the foreign employer consents to pay them. They shall not be payable during leave taken while in Foreign Service.

(d) By special arrangement made under Rule 123 (b), contributions on account of leave salary may

be required in the case of Foreign Service out of India also, the contributions being paid by the foreign employer.

Note (1): Pensions, throughout this chapter, include government contributions, if any, payable to a government servant's credit in a provident fund.

Note (2): Deputation in an organization under the administrative control of the State Government or funded substantially from the consolidated fund of the State shall not be deemed Foreign Service for the purpose of this rule.

F.R. 116. Rates of Leave and Pension Contribution:

The rate of contributions payable on account of pension and leave salary shall be such, as the Governor may, by general order, prescribe.".

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(A.P.Shrivastava)
~~Secretary,~~
to the Govt. of Madhya Pradesh
FINANCE DEPARTMENT.